अति आवश्यक

e-mail- dir.edu@rediffmail.com or budgetbr@rediffmail.com
Phone: 0177-2653120 Ext. 223 Fax- 0177-2812882

संख्याःई.डी.एन.–एच.ई. (4) सी (3) बजट 2016–17
शिक्षा निदेशालय (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश

दिनांक : शिमला–171001 24 नवम्बर, 2016

सेवा में

1.. कमाडैन्ड, एन0 सी0 सी0 ग्रुप हैड क्वाटर्ज, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171004.
2 समस्त उप निदेशक, (उच्च्तर शिक्षा), हिमाचल प्रदेश।
3. प्राचार्य, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0 प्र0।
4. प्राचार्य, एस0 सी0 ई0 आर0 टी0, सोलन, हिमाचल प्रदेश।
5. समस्त प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय/संस्कृत महाविद्यालय, हिमाचल प्रदेश।
6. मुख्य पुस्तकाध्यक्ष, केन्द्रीय पुस्तकालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश।
7. पुस्तकाध्यक्ष, राज्य पुस्तकालय, रिज शिमला, हिमाचल प्रदेश।
8. प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल, सुजानपुर–टिहरा, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

विषयः अनुपूरक अनुदान मांगें वर्ष 2016–17 हेतु प्रथम एवं द्वितीय आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणिका को वित्त विभाग को समय पर भेजने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर वित्त विभाग के पत्र संख्या फिन–ए–सी (6)–2/2016 दिनांक 11 नवम्बर, 2016 की अनुपालना में आपसे अनुरोध है, कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान मांग संख्या 08–शिक्षा, 19–साामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, 31–जनजातीय विकास एवं 32–अनुसूचित जाति उप योजना के अर्न्तगत मुख्य लेखा शीर्षः 2202–सामान्य शिक्षा, 2205–कला एवं संस्कृति, 2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण तथा 4202–शिक्षा खेलकूद पर पूंजीगत परिव्यय के अर्न्तगत विभिन्न शीर्षों के तहत संलग्न प्रपत्र के अनुसार अधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणिका(योजना एवं गैर–योजना) तैयार करके इस निदेशालय को 30 नवम्बर, 2016 तक उपलब्ध करवायें, ताकि सूचना समेकित करके सरकार को प्रस्तुत की जा सकें।

इस संदर्भ में प्रायः देखा गया है कि कुछ आहरण एवं संवितरण अधिकारी बचतों को छुपाते हुए अतिरिक्त बजट की मांग करतें हैं जबकि उनके पास मूल बजट प्रावधान में ही बचतें उपलब्ध होती हैं जिसके परिणामस्वरूप विभाग द्वारा सरकार से अधिक बजट की मांग की जाती है जबकि वित्तीय वर्ष के अन्त में विभाग के पास मूल प्रावधान में बचतें उपलब्ध रह जाने पर सरकार द्वारा अनुपूरक अनुदान मांगों में उपलब्ध करवाई गई राशि अनावश्यक सिद्ध होती है अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त सभी प्रकार के मामलों में वित्तीय नियमानुसार आवश्यक कार्रवाही करें और इस निदेशालय को वास्तविक बजट मांगों और व्यय से अवगत करवायें। यदि भविष्य में किसी भी आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा जान बूझकर बचतों को छुपाकर अतिरिक्त बजट प्राप्त किया गया और वर्ष की समाप्ति पर कम व्यय हुआ तो इस चूक के लिए सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगा तथा ऐसी स्थिति में विभाग के द्वारा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाही की जाएगी।

(दिनकर बुड़ाथोकी)
शिक्षा निदेशक(उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश

प्रतिलिपि आई टी0 सैल को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित है कि वह इसे विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने की [illegible]

Form - A

Proformma for preparation of 1st and 2nd Excess and Surrender Statement

S.No.	Major/ Sub Major/ Minor/ Sub Minor Head/SOE	Sanctioned Budget	Latest Actual Expenditure	Anticipated Expenditure/ requirement for remaining months	Total requirement for the year (column 4+5)	Variation(Col. 3-6)	Reasons for variation	Additionality, if any provided by the F.D. alongwith F.Ds U.O. note
1	2	3	4	5	6	7	8	9